रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 1990/चैत्र 9, 1912

No. 187] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 1990/CHAITRA 9, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1990

का. आ. 275 (अ)/18क/आई. डी. आर. ए./89—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के कानूनी आदेश संख्या 157(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./79, तारीख 27 मार्च, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता में स्थित मैसर्स लिली बिस्कुट कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स लिली बार्ले मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड नामक दोनों औद्योगिक उपक्रमों के प्रबंध का 27 मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिग्रहण किया गया था और रुग्ण और बन्द उद्योग विभाग, जो अब औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, को पश्चिम बंगाल के सचिव को "प्राधिकृत नियंत्रक" के रूप में नियुक्त किया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रभावी बना रहे 31 मार्च, 1990 तक की और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए समय-समय पर निदेश जारी किए थे। (देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग), के आदेश सं. का. आ. 178(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 26 मार्च, 1982, सं. का. आ. 688(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 25 सितम्बर, 1982, सं. का. आ. 384(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 31 मई, 1983, सं. का. आ. 936 (अ)/18क/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 29 दिसंबर, 1983 सं. का. आ. 469 (अ)/18क/आई. डी. आर. ए./84, तारीख 28 जून, 1984, सं. का. आ. 967 (अ)/18क/आई. डी. आर. ए./84 तारीख 28 दिसंबर, 1984, सं. का. आ. 280 (अ)/18क/आई. डी. आर. ए./85, तारीख 30 मार्च, 1985, सं. का. आ. 144(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./86, तारीख 31 मार्च, 1986 सं. का. आ. 271(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./87, 30 मार्च, 1987 सं. का. आ. 327(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./88, तारीख 30 मार्च, 1988 और सं. का. आ. 246(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./89, तारीख 31 मार्च, 1989।

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1991 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बनी रहे,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि 27 मार्च, 1979 का उक्त आदेश 31 मार्च, 1991 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 2(3)/80--सी. यू. एस.]

एल. मान सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1990

S.O. 275(E)|18A|IDRA|89.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Indurtry (Department of Industrial Development) No. S.O. 157(E)|18A|IRDA|79, dated the 27th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order) the management of industrial undertakings known as Messrs. Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs. Lily Barley Mills (Private) Limited, both located at Calcutta, had been taken over for a period of three years with effect from the 27th March, 1979 and the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries now known as Department of Industrial Reconstruction, Calcutta, was appointed as "Authorised Controller".

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto 31st March, 1990 (vide Order of the Government of India in the Ministry of Industriay (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 178(E)|18A|IDRA|82, dated the 26th March, 1982, S.O. 688(E)|18A|IDRA|82, dated the 25th September, 1982, S.O. 384(E)|18A|IDRA|83, dated the 31st May, 1983, S.O. 936(E)|18A|IDRA 83, dated the 29th December, 1983, S.O. 469(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th June, 1984, S.O. 967 (E)|18A|IDRA|84, dated the 28th December, 1984, S.O. 280(E)|18A|IDRA|85, dated the 30th March, 1985, S.O. 144(E)|18A|IDRA|86, dated the 31st March, 1986, S.O. 271(E)|18A|IDRA|87, dated the 30th March, 1987, S.O. 327(E)|18A|IDRA|88, dated the 30th March, 1988 and S.O. 246(E)|18A|IDRA|89, dated the 31st March, 1989.

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public intere t that the said order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1991.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by tht proviso to Sub-Section (2) of the Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby directs that the said Order dated the 27th March, 1979 shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1991.

[File No. 2(3)|80-Cus]

L. MANSINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990